

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

शिवापाल बनाम पत्नी देवी

मुकदमा नम्बर :- 29/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06/12/22	<p>क. प्रार्थी-डॉ. लक्ष्मण लाल शर्मा के पत्र पत्रपत्नी पर उपलब्ध - पत्नीसेवात में अवलोकन किया गया। लक्ष्मण लाल शर्मा के पत्रपत्नी के रूप में अन्तरिम-अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। अतः अन्तरिम-अस्थायी निषेधाज्ञा को ता-फैमला मूल वाद सम्बन्धी किया जाता न्यायोचित प्रतिक्रिया है। अतः अन्तरिम-अस्थायी निषेधाज्ञा के तहत मूल वाद वृद्धता के लिये। अतः अन्तरिम-अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26/12/22 को ता-फैमला मूल वाद सम्बन्धी किया जाता है। पत्रपत्नी के मूल मुद्दे के लिये न्यायोचित प्रतिक्रिया है। अतः अन्तरिम-अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है।</p>	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)